संख्या-237/2016/1576/22-2-2016-17(157)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध बन्दी सम्भल सिंह पुत्र श्री मुंशीमल निवासी जनपद-देवरिया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34846/प्रोबे-3(एम-12-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी, सम्भल सिंह पुत्र श्री मुंशीमल निवासी ग्राम-साकिन- मछिरहवा थाना- रूद्धपुर जनपद-देवरिया का निवासी है। भूमि विवाद एवं पेड से महुआ तोडने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 22-04-1999 को सुबह 06:30 बजे देशी पिस्टल, बंदूक, बांका से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-61/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-4, देवरिया द्वारा दिनांक 17-12-2000 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील संख्या- 168/2003 योजित की गयी उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2003 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 17 वर्ष 05 माह 09 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 02 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी पिस्टल, बन्दूक, बांका से मारकर 04 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर जघन्यतम् अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सम्भल सिंह पुत्र श्री मुंशीमल निवासी जनपद-देवरिया को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सम्भल सिंह (बन्दी संख्या-721/2009) पुत्र श्री मुंशीमल निवासी जनपद-देवरिया के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-237/2016/1576(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-देवरिया ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-237/2016/1576@22-2-2016-17(247)/2013

दिनांक 23 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध बन्दी, सम्भल सिंह(बन्दी संख्या-721/2009) पुत्र श्री मुंशीमल निवासी ग्राम-साकिन- मछिरहवा थाना- रूद्धपुर जनपद-देवरिया का निवासी है। भूमि विवाद एवं पेड से महुआ तोडने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 22-04-1999 को सुबह 06:30 बजे देशी पिस्टल, बंदूक, बांका से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-61/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-4, देवरिया द्वारा दिनांक 17-12-2000 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील संख्या- 168/2003 योजित की गयी उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2003 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 17 वर्ष 05 माह 09 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 02 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी पिस्टल, बन्दूक, बांका से मारकर 04 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर जघन्यतम् अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in